संख्या-11/1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2014

विषयः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत देय पेंशन, समाजवादी पेंशन तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति के कक्षा 9-10 की छात्रवृत्ति व दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि PFMS प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 व दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि राज्य मुख्यालय लखनऊ स्थित जवाहर भवन कोषागार से PFMS(Public Financial Management System) प्रणाली का उपयोग करते हुए कोषागार से सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में देय धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इस संबंध में प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

I. वृद्धावस्था पेंशन/समाजवादी पेंशन/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन

1. एन0आई0सी0 द्वारा विकसित एकीकृत पेंशन पोर्टल पर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों की अद्यतन सूची जनपद/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत वार उपलब्ध होगी।
2. पोर्टल पर लाभार्थियों की सही सूची तथा सी0बी0एस0 खाता संख्या अपलोड कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के निदेशक तथा जनपद स्तरीय अधिकारी की होगी।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में सभी लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में अभियान चलाकर कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. एकीकृत पेंशन पोर्टल पर सभी चयनित लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की सूचना संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से विलंबतम 15 जून तक अपलोड की जायेगी। इसमें वार्षिक सत्यापन की तिथि, सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा लाभार्थी के जीवित/मृत, पात्र/अपात्र होने की स्थिति अंकित की जायेगी।
5. इसके अतिरिक्त मृतक लाभार्थियों के स्थान पर अथवा शासन द्वारा दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष नियमानुसार चयनित नये लाभार्थियों का विवरण भी उक्त अवधि में जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा वेबसाईट पर अपने डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड किया जा सकेगा।
6. इस प्रकार जून माह में सत्यापित/अपलोड किये गये लाभार्थियों के सी0बी0एस0 खाता संख्या एवं अन्य विवरण का मिलान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करते हुए किया जायेगा तथा जिन लाभार्थियों की स्थिति अस्पष्ट अथवा संदेहास्पद रिपोर्ट होती है, उनसे संबंधित विवरण पुनः जनपद स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन तथा पुष्टि हेतु प्रेषित की जायेगी।
7. जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा पुनः सत्यापन तथा अपने डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि कर देने के उपरांत उस जनपद के लाभार्थियों की सूची को अंतिम माना जायेगा और तदुपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार से ई-पेमेंट के माध्यम से देय धनराशि का अंतरण किया जायेगा।
8. पेंशनरों को पहली किश्त के रूप में जुलाई माह में 03 माह की देय धनराशि का भुगतान होगा। तदुपरांत उनके पेंशन का भुगतान मासिक किश्तों में स्वमेव किया जायेगा।
9. यदि किसी जनपद में किसी भी माह में किसी लाभार्थी के मृतक/अपात्र पाये जाने की सूचना प्राप्त होती है अथवा किसी नये लाभार्थी का नियमानुसार चयन किया जाता है तो जनपद स्तरीय अधिकारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जनपद की सूची को परिवर्तित कर सकेंगे और संबंधित लाभार्थी को अगले माह से नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था पेंशनरों के ऑनलाईन सत्यापन का कार्य सितंबर, 2014 में अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है। तदुपरांत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करते हुए लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 06 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत मासिक किश्तों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3. समाजवादी पेंशन के लाभार्थियों का चयन 10 नवंबर, 2014 तक करने के निर्देश हैं। अतएव प्रथम किश्त के रूप में इस वित्तीय वर्ष के 07 माह की राशि का भुगतान होगा और तदुपरांत मासिक किश्तों में पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन के प्रथम किश्त का भुगतान महिला कल्याण विभाग एवं विकलांग कल्याण विभाग के द्वारा किया जा चुका है। इनके द्वितीय किश्त (अवशेष 06 माह) का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करते हुए कोषागार से ई-पेमेंट के माध्यम से उपरोक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

II. पूर्वदशम (कक्षा-9 एवं 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति

1. वर्ष 2014-15 से पूर्वदशम (कक्षा-9 एवं 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। ऑनलाईन आवेदन में आई0टी0 (एमेंडमेंट) एक्ट, 2008 के प्राविधानों के अनुसार सही आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित आवेदनकर्ता की है। अतएव यह छात्र की जिम्मेदारी है कि वह सभी अपेक्षित सूचना सही भरे। इस वर्ष से आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत 10 दिन का विशेष अवसर आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन-पत्र की किसी त्रुटि को ऑनलाईन सुधारने हेतु दिया जायेगा। यदि इसके उपरांत भी आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र में त्रुटियॉ करता है, जिस कारण साफ्टवेयर के माध्यम से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का अंतरण बाधित होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आवेदनकर्ता की होगी और विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

2. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एकमुश्त दिसंबर/जनवरी माह में किया जायेगा।

III. सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अंतर्गत प्रक्रिया

1. सर्वप्रथम समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग कल्याण निदेशालय के वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) तथा इन विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर लेंगे।

2. इन विभागों के जिन अधिकारियों का पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उन्हें जनपद स्तर पर एन0आई0सी0 के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण अगले 03 माह के अंदर प्रदान किया जायेगा।

3. समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग कल्याण निदेशालय के वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन कर कोड प्राप्त कर लेंगे। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के पूर्व संबंधित विभागीय वित्त नियंत्रक, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा, जिसमें कोषागार की सरकारी खाता खुली हो, की सूचना खाता संख्या सहित प्राप्त कर लेंगे क्योंकि इस सूचना के वगैर पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन कर पाना संभव नहीं होगा। तदुपरांत पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के द्वारा उपलब्ध कराये गये कोड का प्रयोग कर पी0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर डिमांड जेनरेट कर बेनीफिशियरी फाईल तैयार की

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी। इस बेनीफिशियरी फाइल के डाटा का पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली द्वारा वेरीफिकेशन किया जायेगा।

4. सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी भी पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन करके कोड नंबर प्राप्त कर लेंगे, जिससे उनके कोड के आधार पर जनपद का डाटा अलग किया जा सके।

5. जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत नियमानुसार चयनित एवं सत्यापित लाभार्थियों से संबंधित डाटा के एकीकृत पेंशन पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये जाने के उपरांत आनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से मांग जेनरेट की जायेगी।

6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(राज्य इकाई) द्वारा निदेशालय से उपलब्ध कराये गये बजट के अनुसार बेनीफिशियरी एवं ट्रांजेक्शन फाईल सृजित करने का अवसर निर्धारित साफ्टवेयर पर निदेशालय के लागिन पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसको वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी(योजना) द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से जेनरेट किया जायेगा।

7. उक्तानुसार जेनरेटेड बेनीफिशियरी फाईल पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपलोड करके वैध (Valid) एवं अवैध (Invalid) बेनीफिशियरी की सूची जनपदवार अलग की जायेगी।

8. अवैध (Invalid) लाभार्थियों की जनपदवार सूची संबंधित जनपदों को उसमें इंगित कमियों को दूर करने के लिए संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी के लागिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

9. संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा 'बेनीफिशियरी फाईल' में इंगित कमियों को दूर कर पुनः उक्त 'बेनीफिशियरी फाईल' के डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से लाक किया जायेगा। उक्तानुसार संशोधित एवं लाक 'बेनीफिशियरी फाईल' को विभागीय वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) द्वारा पुनः पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।

10. उक्तानुसार पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर अपलोडेड संपूर्ण लाभार्थियों का सत्यापन एवं मिलान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर बैंक खाता धारकों से कराया जायेगा। बैंक खाता धारकों से सत्यापन उपरांत त्रुटिपूर्ण तथा लाभार्थी के नाम से मिलान न होने वाले बैंक खाता धारकों के डाटा को साफ्टवेयर के माध्यम से अलग कर लिया जायेगा।

11. पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर लाभार्थी एवं मूल खाताधारक के नामों का सही मिलान वाली लाभार्थी के शुद्ध डाटा को पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर धनराशि प्रेषण करने हेतु जेनरेट की जायेगी एवं इन्हीं शुद्ध लाभार्थियों हेतु कोषागार में एक बिल तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

12. राज्य मुख्यालय स्थित जवाहर भवन कोषागार द्वारा उक्त बिल पर टोकन जारी करते हुए बिल पारण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त कोषागार टोकन नंबर को वित्त नियंत्रक तथा नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित वेबसाईट पर 'फीड' करके 'ट्रांजेक्शन फाईल' जेनरेट की जायेगी, जिसको

http://shasanadesh.up.nic.in

पी0एफ0एम0एस0 सर्वर स्थानांतरित करके धनराशि का बैंक खातेवार अंतरण किया जायेगा। तत्पश्चात् एक निर्धारित अवधि के उपरांत पी0एफ0एम0एस0 से प्राप्त 'रिस्पांस (Response) फाईल' के माध्यम से फाईल प्राप्त होगी जिससे समस्त अंतरित धनराशि की सूचना प्राप्त होगी।

13. लाभार्थियों को अंतरित धनराशि की सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) द्वारा विकसित पेंशन एवं 'स्कालरशिप पोर्टल' पर प्रदर्शित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) द्वारा यह व्यवस्था भी की जायेगी कि जिन लाभार्थियों का मोबाईल नंबर पोर्टल पर उपलब्ध है, उन्हें अंतरित की गयी धनराशि का एस0एम0एस0 एलर्ट स्वमेव जेनरेट होकर भेजी जा सके।

IV. प्रशासनिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी

1. उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के उपरांत भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पूरी प्रशासनिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी की रहेगी। उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत लाभार्थी के चयन/सत्यापन से संबंधित समस्त कार्य जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा ही पूर्ववत् संपादित की जाती रहेगी और उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से अंतिम रूप से लाक किये गये डाटा के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही राज्य मुख्यालय स्तर पर स्थित जवाहर भवन कोषागार से विभागीय वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) द्वारा संपादित की जायेगी।

V. ऑडिट

1. जनपद स्तरीय अधिकारी को पेंशन एवं 'स्कालरशिप पोर्टल' पर यह सुविधा उपलब्ध होगी कि जिन लाभार्थियों को धनराशि अंतरित की गयी है, उसकी सूची व संबंधित समस्त सूचना डिजिटल फार्मेट पर उपलब्ध हो, जिसका उपयोग वे आडिट के दौरान *आई0टी0 (एमेंडमेंट) एक्ट, 2008* के प्राविधानों के अनुसार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद स्तरीय अधिकारी उक्त सूचना का प्रिंट आउट लेकर अपनी पत्रावली में भी रख सकेंगे। आडिट से संबंधित सभी कार्यवाही को सम्पन्न करने की जिम्मेदारी पूर्व की भांति जनपद स्तरीय अधिकारियों की ही रहेगी।

VI. कोषागार

1. जवाहर भवन स्थित कोषागार में कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित बिल यथासंभव माह के 10 से 20 तारीख के मध्य प्रस्तुत किये जायें। विशेष परिस्थितियों में ही अन्य तिथियों पर प्रस्तुत किये गये बिल स्वीकार किये जायेंगे।

2. वर्ष 2015-16 से पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के प्रथम किश्त का भुगतान जुलाई माह में किया जायेगा और तदुपरांत मासिक किश्तों में पेंशन का भुगतान किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पेंशन का भुगतान उपर संदर्भित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करने से 'फेल्ड ट्रांजेक्शन' होने की संभावना अत्यंत न्यून हो जाती है। इसके बावजूद अगर कोई 'फेल्ड ट्रांजेक्शन' होता है, तो उनके संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित विभागों के द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

VII. भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंक

1. सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये जा रहे पेंशनर एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी समाज के सबसे गरीब वर्ग से आते हैं। इन सभी खातेदारों का बचत बैंक खाता "शून्य बैलेंस" पर खोलने के निर्देश हैं। अतएव इन खातेदारों के खातों में अंतरित की जाने वाली धनराशि का निम्नलिखित आधारों पर 'ट्रांजेक्शन फेल्योर' का कोई औचित्य नहीं है:-

- बचत खाता में न्यूनतम धनराशि का न होना।
- के0वाई0सी0 फार्म का न भरा जाना।
- खाते से नियमित परिचालन न होना।

इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी अन्य बैंक आवश्यक निर्देश प्रदेश में स्थित अपनी समस्त शाखाओं में तत्काल प्रचारित करेंगे।

VIII. पी0एफ0एम0एस0 यूनिट, नई दिल्ली

1. 'बेनीफिशियरी फाईल' एवं 'ट्रांजेक्शन फाईल' बनाने एवं उसको एस0एफ0टी0पी0 सर्वर पर एन0आई0सी0 द्वारा भेजने हेतु समस्त तकनीकी पैरामीटर का विवरण एवं आवश्यक तकनीकी सहायता प्रभारी, पी0एफ0एम0एस0 यूनिट, नई दिल्ली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) को उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रभारी, पी0एफ0एम0एस0 यूनिट, नई दिल्ली यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) द्वारा भेजे गये 'बेनीफिशियरी' एवं 'ट्रांजेक्शन' फाईल के सापेक्ष 'रिस्पांस फाईल' विलंबतम 72 घंटे के अंदर एन0आई0सी0 सर्वर, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा दी जाय।

3. पी0एफ0एम0एस0 यूनिट, नई दिल्ली आवश्यकतानुसार प्रदेश के अधिकारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में उपलब्ध करायेगी और राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न मंडल/जनपद मुख्यालयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगी।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या 1539(1)/26-3-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0।
5. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
7. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी0एफ0एम0एस0, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, सातवां तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
8. महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, गवर्नमेंट बिजनेस, लखनऊ।
9. नोडल अधिकारी PFMS साफ्टवेयर उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in